

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

**ऑटोमोटिव क्षेत्र में केंद्रीय उत्पाद
शुल्क प्रशासन**

**संघ सरकार - राजस्व विभाग
अप्रत्यक्ष कर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क
2014 की प्रतिवेदन संख्या 33**

_____ को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सार	(iii)
अध्याय 1: प्रस्तावना	1-4
1.1 भारत में ऑटोमोटिव उद्योग	1
1.2 भारत में ऑटो कंपोनेंट उद्योग	1
1.3 हमने यह विषय क्यों चुना	2
1.4 टैरिफ संरचना	2
1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य	3
1.6 कार्यक्षेत्र एवं कवरेज	4
1.7 आभार	4
अध्याय 2: मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता	5-26
2.1 राजस्व संग्रहण की प्रवृत्ति	5
2.2 विवरणियों एवं निर्धारणों की संवीक्षा	6
2.3 आंतरिक लेखापरीक्षा	16
2.4 अपवंचन रोधी उपाय	20
2.5 आसूचना रिपोर्टों की सामूहिक शेयरिंग	21
2.6 बकाया माँगें	21
2.7 नियमों में प्रावधान का अभाव	22
2.8 पूर्व-लेखापरीक्षा से बचने के लिए छूट दावों का विभाजन	25
अध्याय 3: उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन	27-38
3.1 अन्तः सम्बद्धित उपक्रमों के लिए माल की निकासी के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क देयता	27
3.2 कीमत समझौते पर शुल्क का भुगतान न करना	34
3.3 अतिरिक्त प्रतिफल को शामिल न करना	35
3.4 सहयोगी कम्पनियों को बेचा हुआ माल	36
3.5 डेमो कारों का कम मूल्यांकन	38

विषय		पृष्ठ
अध्याय 4: सेनवेट क्रेडिट		39-50
4.1	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	39
4.2	सेनवेट क्रेडिट को वापस न लौटाना	40
4.3	अयोग्य पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का प्राप्त करना	40
4.4	पुरानी मशीनरी को बेचने पर सेनवेट क्रेडिट का कम भुगतान	41
4.5	अस्वीकार्य इनपुट सेवा पर सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना	43
4.6	इनपुट सेवा क्रेडिट का अधिक लाभ उठाना	45
4.7	सेल्स एजेंटों को दिए गए कमीशन से संबंधित सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना	46
4.8	छूट प्राप्त सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाना	47
4.9	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित उपयोग	49
अध्याय 5: अन्य रुचिकर मामले		51-58
5.1	अनुपालन मामलों से संबंधित सेवा कर	51
5.2	कारण बताओ नोटिस जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व हानि	56
5.3	उपकर के भुगतान के प्रति मूल उत्पाद शुल्क पर सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग	57
5.4	अन्य मामले	58
संकेताक्षर		59